

जय नारायण मिश्रा

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

15 सितंबर, 1970

[जे. सी. शाह, के. एस. हेगड़े और ए. एन. गोवर, न्यायमूर्तिगण]

*लोक सेवा - चयन पद - कृषि निदेशक - भरने की पद्धति।*

विपक्षी-राज्य के कृषि निदेशक के सेवानिवृत्त होने पर, राज्य सरकार ने लोक सेवा आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वह निदेशक के रूप में पदोन्नत करने के लिए पत्र के साथ संलग्न सूची में दिखाए गए 14 अधिकारियों में से किसी एक का चयन करें। पत्र में कहा गया था कि उन अधिकारियों के बीच वरिष्ठता का प्रश्न अभी भी विचाराधीन है और सूची वरिष्ठता के अनुसार व्यवस्थित नहीं थी। सूची में कुछ अधिकारियों का वेतनमान 900 रुपये से 1,400 रुपये और अन्य का 1,200 रुपये से 1,700 रुपये था। चयन योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर किया जाना था। अभिलेखों की जांच करने के बाद, आयोग ने अपीलकर्ता के नाम की सिफारिश की। तीसरे उत्तरदाता ने एक रिट याचिका दायर की और उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि तीसरा उत्तरदाता, अपीलकर्ता से वरिष्ठ था और उसकी योग्यता अधिक थी। अपीलकर्ता और तीसरे उत्तरदाता दोनों का वेतनमान 1,200 रुपये से 1,700 रुपये था।

इस न्यायालय में अपील करने पर,

अभिनिर्धारित: (1) कृषि निदेशक का पद एक चयन पद और एक गैर-संवर्ग पद है। इस पर चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाता है और वरिष्ठता का प्रश्न प्रासंगिक नहीं था। यह राज्य सरकार को तय करना है कि वह सबसे उपयुक्त अधिकारी का चयन करे और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, सरकार के लिए लोक सेवा आयोग की सहायता लेना खुला था। पत्र में पदोन्नत शब्द का प्रयोग अनुपयुक्त था, लेकिन सरकार द्वारा उस शब्द का प्रयोग करने से पद की प्रकृति नहीं बदली जा सकती। इसलिए, उच्च न्यायालय का वरिष्ठता के प्रश्न में जाना उचित नहीं था, विशेष रूप से तब जब सरकार या आयोग की ओर से *दुर्भावना* की कोई शिकायत नहीं थी। [393 एच; 394 बी-सी, ई-एफ]

(2) 11 अप्रैल, 1935 को प्रख्यापित बिहार और उड़ीसा कृषि सेवा श्रेणी-I को विनियमित करने वाले नियमों का नियम 16, 1945 के नियमों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया है, जो बिहार कृषि सेवा श्रेणी-I, बिहार कृषि सेवा श्रेणी-II, सामान्य प्रांतीय सेवा और इन संवर्गों के बाहर के विशेष पदों पर लागू होते हैं। 1935 के नियम सरकार द्वारा निदेशक के पद पर चयन करने के मार्ग में नहीं आते हैं, और 1945 के नियमों का नियम 12 लागू नहीं होता है। [395 एफ, जी; 396 बी]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1970 की दीवानी अपील संख्या 477

1969 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 1067 में पटना उच्च न्यायालय के 12 फरवरी, 1970 के निर्णय और आदेश से अपील।

अपीलकर्ता की ओर से *एस. वी. गुप्ते* और *यू. पी. सिंह*।

उत्तरदाता संख्या 1 और 2 की ओर से एच. आर. गोखले और आर. सी. प्रसाद।

उत्तरदाता संख्या 3 की ओर से डी. पी. सिंह।

न्यायालय का निर्णय हेगड़े, न्यायमूर्ति

द्वारा सुनाया गया। अपीलकर्ता और तीसरा उत्तरदाता बिहार सरकार के कृषि विभाग में कार्यरत हैं। फरवरी 1968 तक श्री बी. एन. सिन्हा उस राज्य में कृषि निदेशक थे। वे उस वर्ष फरवरी में सेवानिवृत्त हुए। 25 नवंबर, 1967 को बिहार राज्य सरकार ने लोक सेवा आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वह उस पत्र के साथ संलग्न सूची में दिखाए गए चौदह अधिकारियों में से किसी एक को कृषि निदेशक के रूप में पदोन्नत करने के लिए चुने। उनमें से कुछ अधिकारियों का वेतनमान 900-1400 रुपये और अन्य का 1200-1700 रुपये था। उस पत्र में सरकार ने कहा कि उन अधिकारियों की वरिष्ठता का प्रश्न अभी भी विचाराधीन है और भेजी गई सूची वरिष्ठता के अनुसार व्यवस्थित नहीं थी। आयोग ने 29 अप्रैल, 1968 को सरकार को पत्र लिखकर कृषि निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उनमें से किसी एक की सिफारिश करने से पहले उन अधिकारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए कहा। सरकार ने 23 सितंबर, 1969 को आयोग को वापस लिखा कि उन अधिकारियों की वरिष्ठता का प्रश्न आसानी से तय नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें कुछ जटिलताएँ थीं और आयोग को केवल योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर सूची में उल्लिखित अधिकारियों में से एक का चयन करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

संबंधित सभी अधिकारियों के अभिलेखों की जांच करने के बाद, आयोग ने अपीलकर्ता के नाम की सिफारिश की। इसके तुरंत बाद तीसरे उत्तरदाता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और प्रार्थना की कि आयोग की सिफारिश को अभिखंडित किया जाए और सरकार को नियमों के अनुसार नियुक्ति करने के लिए कहा जाए। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि तीसरा उत्तरदाता, अपीलकर्ता से वरिष्ठ है और उसकी योग्यता अपीलकर्ता से अधिक है। इसलिए नियमों के तहत वह पदोन्नत होने का हकदार था। यह उस चर्चा के विरुद्ध प्रमाण पत्र द्वारा एक अपील है। इसके बाद सरकार ने तीसरे उत्तरदाता को कृषि निदेशक के रूप में कार्यवाहक नियुक्त किया। ऐसा प्रतीत होता है कि तीसरा उत्तरदाता इस महीने की 1 तारीख को सेवानिवृत्ति प्राप्त कर चुका है, लेकिन उसे एक महीने का विस्तार दिया गया है।

हमारे समक्ष इस बात पर विवाद नहीं था कि कृषि निदेशक का पद एक चयन पद है। इसलिए चयन करने में वरिष्ठता का प्रश्न प्रासंगिक नहीं था। यह राज्य सरकार को तय करना है कि वह किस अधिकारी को सबसे उपयुक्त मानती है। इस दृष्टि से हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय का वरिष्ठता के प्रश्न में जाना उचित नहीं था और न ही हमारा उस प्रश्न में जाना उचित होगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि जिस समय आयोग ने यह सिफारिश की थी, उस समय अपीलकर्ता और तीसरे उत्तरदाता दोनों का वेतनमान 1200-1700 रुपये था।

जहाँ तक उपयुक्तता के प्रश्न का संबंध है, निर्णय पूरी तरह से सरकार पर निर्भर था। दूसरे शब्दों में, कृषि निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार कौन है, इसका निर्णय करने के लिए सरकार ही एकमात्र न्यायाधीश है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सरकार के लिए लोक सेवा आयोग की सहायता लेना खुला था। हमारे निर्णय में, उच्च

न्यायालय का लोक सेवा आयोग के अभिलेखों को मंगाना और आयोग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ-साथ आयोग और सरकार के बीच हुए पत्राचार को देखना उचित नहीं था। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि सरकार ने सबसे उपयुक्त उम्मीदवार का पता लगाने के लिए आयोग की सहायता मांगी थी, न कि उच्च न्यायालय की। इस वाद में न तो सरकार की ओर से और न ही आयोग की ओर से *दुर्भावना* की कोई शिकायत थी। ऐसा होने के कारण, सरकार द्वारा किए गए चयन के मामले में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं था।

कृषि निदेशक का पद स्वीकार्य रूप से एक गैर-संवर्ग पद है। उस पद पर चयन पूरी तरह योग्यता के आधार पर किया जाता है। केवल इसलिए कि सरकार ने आयोग को लिखे अपने पत्र में "पदोन्नति" शब्द का प्रयोग किया है, उच्च न्यायालय को इस वाद को "पदोन्नति" के रूप में नहीं मानना चाहिए था। सरकार के पत्र में प्रयुक्त "पदोन्नति" शब्द एक अनुपयुक्त शब्द था। सरकार का वास्तव में तात्पर्य निदेशक के रूप में तैनात किए जाने वाले व्यक्ति का चयन करना था। सरकार द्वारा "पदोन्नति" शब्द का प्रयोग करने से पद की प्रकृति नहीं बदली जा सकती। पद एक चयन पद ही बना रहता है।

उच्च न्यायालय का यह विचार भी सही नहीं था कि आयोग द्वारा की गई सिफारिश नियमों के अनुरूप नहीं थी। उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित दो नियम हैं: (1) 11 अप्रैल, 1935 को प्रख्यापित बिहार और उड़ीसा कृषि सेवा, श्रेणी-I को विनियमित करने वाले नियम और (2) 9 जुलाई, 1945 को प्रख्यापित बिहार कृषि सेवा श्रेणी-I, बिहार कृषि सेवा श्रेणी-II, सामान्य प्रांतीय सेवा और इन संवर्गों के बाहर के विशेष पदों पर भर्ती को विनियमित करने वाले नियम। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि 1935 के नियम निहित रूप से, हालांकि स्पष्ट रूप

से नहीं, 1945 के नियमों द्वारा निरस्त कर दिए गए थे। 1935 के नियम अपनी प्रस्तावना और "सेवा" शब्द की परिभाषा दोनों से यह स्पष्ट करते हैं कि वे नियम कृषि निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा, उन नियमों का नियम 16 कहता है:

"कृषि निदेशक का पद सेवा के संवर्ग से बाहर रहेगा, लेकिन नीचे दिए गए नियम 17 के प्रावधान के अधीन इसे स्थानीय सरकार के विवेक पर सेवा के एक सदस्य द्वारा भरा जा सकता है।"

नियम 17 कहता है:

"बिहार और उड़ीसा के संवर्ग में शामिल भारतीय कृषि सेवा के सदस्य के अलावा किसी भी व्यक्ति को कृषि निदेशक के पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा कोई सदस्य पद पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध हो और जिसे बिहार और उड़ीसा सरकार द्वारा ऐसे पद को धारण करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य नहीं माना गया हो,

बशर्ते कि जब भी स्थानीय सरकार यह विचार करे कि बिहार और उड़ीसा के संवर्ग में शामिल भारतीय कृषि सेवा का कोई भी अधिकारी निदेशक के पद के लिए योग्य नहीं है, तो किसी अन्य व्यक्ति को पद पर नियुक्त करने से पहले अन्य प्रांतों में भारतीय कृषि सेवा के सदस्यों में से एक उपयुक्त चयन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की सहायता ली जाएगी।"

1935 के नियमों के नियम 16 और 17 को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि 1935 के नियम सरकार द्वारा चयन करने के मार्ग में नहीं आए थे।

अब 1945 के नियमों पर आते हैं, इसकी प्रस्तावना से यह स्पष्ट है कि वे नियम केवल (1) बिहार कृषि सेवा श्रेणी-I; (2) बिहार कृषि सेवा श्रेणी-II और (3) सामान्य प्रांतीय सेवा और इन संवर्गों के बाहर के विशेष पदों पर लागू होते हैं। श्रेणी-I और श्रेणी-II सेवाओं के संवर्गों के बाहर के पदों के संदर्भ में, अपीलकर्ता की ओर से और राज्य सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया था कि यह संवर्ग पदों के अतिरिक्त श्रेणी-I और श्रेणी-II के पदों को संदर्भित करता है न कि चयन पदों को। हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए उस प्रश्न का निर्णय करना आवश्यक नहीं है। 1945 के नियमों के नियम 12 से यह स्पष्ट है कि ये नियम कृषि निदेशक के पद को भरने के मामले में लागू नहीं होते हैं। वह नियम कहता है:

"जब भी राज्यपाल यह निर्णय लेते हैं कि कोई रिक्ति सरकार की सेवा में पहले से कार्यरत अधिकारी की पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा भरी जाएगी, तो ऐसे चयन पर सलाह देने के लिए आयोग को एक संदर्भ भेजा जाएगा। आयोग को कृषि निदेशक द्वारा पदोन्नति के लिए नामित अधिकारी के अभिलेखों के साथ-साथ उन अधिकारियों के अभिलेख, यदि कोई हों, जो नामित अधिकारी से वरिष्ठ हैं, आपूर्ति किए जाएंगे।"

हम यह कल्पना करने में असमर्थ हैं कि कोई भी सेवा नियम किसी ऐसे अधिकारी द्वारा अपने उत्तराधिकारी के नामांकन का प्रावधान कर सकता है जो स्वयं सेवानिवृत्ति प्राप्त करने वाला

हो। हमारे निर्णय में 1935 के नियमों का नियम 16, 1945 के नियमों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया है।

परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है और रिट याचिका खारिज की जाती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तीसरा उत्तरदाता पहले से ही सेवानिवृत्ति प्राप्त कर चुका है, हम इस अपील में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं देते हैं।

वी.पी.एस.

अपील स्वीकार की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।